

14<sup>3</sup>/<sub>12</sub>

शुश्रूषा


12

11/12/22



आज यह पत्रावली मूल अपील में  
अपीलान्त / प्राची के द्वारा प्राथम  
पत्र आदेश 23 निघम। C/C पैश  
करने पर पैश में ली गई।  
उक्त अनवान प्रकरण में दोना  
पक्षों का राजीनामा ले गया है।  
अपील अपीलान्त खारिज की जा  
चुकी है। अब इस पत्रावली में  
कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।  
प्राथम का प्राथम पत्र अन्तर्गत  
द्वारा 212 RTA इसी स्तर पर  
खारिज किया जाकर हस्तगत प्रकरण  
में जारी दिनांक 04/01/22 की  
अस्थाई निवेद्याज्ञा भी निरस्त की  
जाती है। पत्रावली निगति होकर  
गुप्त से कम होकर वास्तविक स्तर



  
गणराज्य अधिकारी (राजस्व)  
श्री कल्याणपुर